तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2249/2004/बूंदी अम्बालाल बनाम पांचूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–
श्री रोडमल, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अजीतसिंह राठौड, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय
दिनांकः– 09–01–2020

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के समक्ष अप्रार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 188 व 92 के तहत ग्राम करवार तहसील नैनवा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2032/1 रकबा 6 बीघा भूमि के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते वाद को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी ने दिनांक 24–02–2003 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 8 सीपीसी बाबत बेचाननामे के दस्तावेज को इम्पाउण्ड करने के लिए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 17–04–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/प्रतिवादी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2249/2004/बूंदी अम्बालाल बनाम पांचूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कहा कि प्रतिवादी के हक में निष्पादित दस्तावेज प्रोपर स्टाम्प पर नहीं होने से उक्त दस्तोवज को इम्पाउण्ड कर कमी पूर्ति स्टाम्प की जानी न्यायहित में आवश्यक है। जिसे इम्पाउण्ड करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी उसे निरस्त करने में न्यायालय ने भूल की है। आगे बताया कि वादी को प्रश्नगत रकबे बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु खातेदार व कब्जा प्रमाणित करना है एवं प्रतिवादी को अपना कब्जा बेचान के आधार पर साबित कराना है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नैनंवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-04-2003 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 8 सीपीसी को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि आलोच्य दस्तावेज को प्रतिवादी पूर्व में इम्पाउण्ड कराने हेतु स्वतंत्र था। आगे बताया कि कथित बेचान के आधार पर कब्जा प्रमाणित करना प्रतिवादी की जिम्मेदारी है तथा उसके इम्पाउण्ड होने से उसकी विधिक मान्यता में कोई अंतर नहीं होता। अतः आलोच्य दस्तावेज को इम्पाउण्ड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं नहीं दस्तावेज की सहभागिता पर विचारण साक्ष्य प्रस्तुति के बाद किया जाना उचित है। उक्त स्थिति में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रार्थी निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होनें अपने तर्को के समर्थन में 2001 (3) आरएलडब्ल्यू 1605, 1998 (5) आरबीजे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2249/2004/बूंदी अम्बालाल बनाम पांचूलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

274, 1997 आरआरडी 68, 2011 (2) आरआरटी 1253, 1999 (6) आरबीजे 83 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया।

हस्तगत प्रकरण **व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 नियम 8** से संबंधित है, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

''न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा- यदि न्यायालय को इस बात के लिए पर्याप्त हेतु दिखाई दे तो वह किसी वाद में अपने समक्ष पेश की गई किसी भी दस्तावेज या बही के, इस आदेश के नियम 5 या 7 में या आदेश 7 के नियम 17 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अवधि के लिए वह ऐसी शर्तो के अधीन जो न्यायालय ठीक समझे, परिबद्ध किए जाने और न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए निदेश दे सकेगा''।

हस्तगत प्रकरण में कथित विक्रय विलेख दिनांक 25-06-1992 पंजीबद्ध नहीं होने के कारण ऐसे दस्तावेज से किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। इस संबंध में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 साक्ष्य अधिनियम 91 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपंजीकृत दस्तावेज यहां तक कि सांपार्श्विक उद्देश्यों हेतु भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। उक्त कथित दस्तावेज को पूर्व में इम्पाउण्ड करवाने के लिए प्रतिवादी स्वतंत्र था। बेचान के कथित दस्तावेज के आधार पर कब्जा प्रमाणित करना प्रतिवादी के जिम्मे है तथा उसके इम्पाउण्ड होने से उसकी विधिक मान्यता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद की कार्यवाही में वादी को आराजी पर अपनी खातेदारी सिद्ध करनी है व प्रतिवादी को अपना कब्जा उक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रमाणित करना है।

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/2249/2004/बूंदी** **अम्बालाल बनाम पांचूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 13 नियम 8 सीपीसी के तहत दस्तावेज को इम्पाउण्ड करवाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रतिवादी के आलोच्य प्रार्थना पत्र को खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तथा आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध पेश निगरानी स्वतः ही सारहीन होना प्रकट होती है। सारांशतः प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी असंगत आधारों को अभिवचित करके पेश किए जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–04–2003 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि विचाराधीन वाद में विधि के प्रावधानों के तहत आगामी विचारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2249/2004/बूंदी अम्बालाल बनाम पांचूलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए